

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 18.04.2024

एक अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जाने रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी थाना शाहपुर के नेतृत्व में उ0नि0 सत्यम सिंह मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त भीम सिंह पुत्र कृष्ण कुमार सिंह निवासी ग्राम अमहटा थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या को 01 अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 209/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

भीम सिंह पुत्र कृष्ण कुमार सिंह निवासी ग्राम अमहटा थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 209/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0135/2024 धारा 307,427,504 भादवि थाना कैण्ट जनपद अयोध्या
3. मु0अ0सं0167/2024 धारा 504,506 भादवि थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या
4. मु0अ0सं091/2024 धारा 323,504,506 भादवि थाना खन्डासा जनपद अयोध्या
5. मु0अ0सं0244/2019 धारा 147,148,,149,302 भादवि थाना महाराजगंज जनपद अयोध्या
6. मु0अ0सं0280/2019 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना महाराजगंज जनपद अयोध्या
7. मु0अ0सं0458/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना महाराजगंज जनपद अयोध्या

बरामदगी-

एक अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तारी की टीम -

1. उ0नि0 सत्यम सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. प्रशिक्षु उ0नि0 अंकित पटेल थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. का रोहित सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर